राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी — अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 10/2022

दायर तारीख 19.01.2022

अनवान्

1. नाथूगिरि पुत्र खेमगर जाति गुसाई उम्र बालिग व्यवसाय कृषि निवासी सलावटिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा (राज0)

.....वादी

बनाम

1. नन्दा पुत्र बालूपुरी जाति गुसाई उम्र बालिग निवासी गरड़दा तहसील बून्दी जिला बून्दी
2. गीता पुत्री बालूपुरी (पत्नी प्रकाश गिरि) जाति गुसाई जाति गोस्वामी निवासी गोपालपुरा तहसील बेगू जिला चित्तोडगढ
3. कैलाशगिरी पुत्र केशरगर जाति गुसाई उम्र बालिग निवासी सलावटिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा
4. कैलाशगिरी पुत्र रूपगर जाति गुसाई उम्र बालिग निवासी सलावटिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा
5. कालीबाई पुत्री कानगर जाति गुसाई पत्नि सोहनगिरी उम्र बालिग निवासी सलावटिया हाल निवासी भूति तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा
6. नारायणी विधवा रूपगर जाति गुसाई उम्र बालिग निवासी सलावटिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा
7. प्रभुलाल पुत्र देवा जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी सलावटिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा
8. भंवरगर पुत्र सेवागर जाति गुसाई उम्र बालिग निवासी सलावटिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा
9. मांगीलाल पुत्र हीरागर जाति गुसाई उम्र बालिग निवासी सलावटिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा
10. युवराज पुत्र हीरागर जाति गुसाई उम्र बालिग निवासी सलावटिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा
11. रोडीबाई पुत्री बरजी जाति गुसाई उम्र बालिग निवासी सलावटिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा
12. शंकरगर पुत्र सेवागर जाति गुसाई उम्र बालिग निवासी सलावटिया गुसाई तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा
13. शारदा पुत्री कानगर जाति गुसाई उम्र बालिग निवासी सलावटिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा
14. भंवरी बाई पुत्री केशरगर जाति गुसाई उम्र बालिग निवासी सलावटिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा
15. शंकरगिरि पुत्र केसरगर जाति गुसाई उम्र बालिग निवासी सलावटिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा
16. बालीबाई पत्नि भंवरगर जाति गुसाई उम्र बालिग निवासी सलावटिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा
17. भवानीगिरी पुत्र भंवरगर जाति गुसाई उम्र बालिग निवासी सलावटिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा
18. शंकरगिरी पुत्र सेवागर जाति गुसाई उम्र बालिग निवासी सलावटिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा
19. राजस्थान सरकार मार्फत तहसीलदार महोदय बिजोलिया जिला भीलवाडा राजस्थान

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित :— 1. श्री हर्षवर्धन शर्मा — अधिवक्ता वादी।
2. एकपक्षीय — प्रतिवादीगण

लगातार पेज संख्या 02 पर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजोलियाँ जिला–भीलवाड़ा

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88–188 राज0 काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 08/01/2026

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने जरिये अधिवक्ता श्री हर्षवर्धन शर्मा वादपत्र **अर्न्तगत आदेश 7 नियम 1 – 3 दि0 प्र0स0 धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी स्व० खेमगर पुत्र रतनगर जाति गुसाई एवम श्रीमति चादी बाई पत्नि खेमगर जाति गुसाई निवासी सलावटिया का गोदपुत्र है। वादी स्व० खेमगर एवम चांदीबाई के पुत्र के रूप में परिवार जाति समाज मे पहिचान रखता है। वादी स्व० खेमगर के पिता का नाम खेमगर गुसाई दर्ज अभिलेख है। वादी हिन्दु होकर उस पर उसके चल अचल सम्पति के बाबत अधिकार निर्धारण की विधि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू होती है। इसलिए उसके गोदी माता पिता द्वारा अपने पीछे निर्वसीयत छोडी गयी सम्पति पुत्र की हेसीयत से वादी को प्राप्त होने की विधि मे व्यवस्था है। स्व० खेमगर पुत्र रतनगर गुसाई हिन्दु होने से हिन्दु रिति रिवाज एवम गुसाई समाज की प्रचलित विवाह की विधि अनुसार उनका विवाह चांदी बाई से हुवा। श्रीमति चांदी बाई ही खेमगर की विवाहिता के रूप मे अपनी पहिचान रखती थी। किसी हिन्दु पुरुष को हिन्दु विवाह अधिनियम 1956 के तहत अपनी विवाहिता पत्नी के जीवित रहते बिना विधि पूर्वक विवाह विच्छेद कराये अन्य किसी स्त्री को दूसरी पत्नी बनाकर रखने का अधिकार नहीं है। यदि वह विवाह सम्बन्धी लागू विधि के विपरित किसी स्त्री को विवाहिता के जीवित रहते अन्य स्त्री को अपने पास रख शारिरीक सम्बन्ध बनाये रखता है तो वह स्त्री उस पुरूष की विवाहिता का दर्जा प्राप्त नही कर सकती है। ऐसे सम्बन्ध विधी विरूद्ध, गैर कानूनी होने से अमान्य है। ऐसे सम्बन्धो से उत्पन्न संतान पुश्तेनी जायदाद में कोई हक अधिकार प्राप्त नही करती है। इसी प्रकार अवैध शारीरिक सम्बन्ध रखने वाली स्त्री पुरुष अथवा पुरूष की पुश्तेनी जायदाद मे कोई हक अधिकार प्राप्त नही करती है। हिन्दु विधि में दो पत्नी रखना वर्जित हो गैर कानूनी है। स्व० खेमगर पुत्र रतनगर जी गुसाई को उनके पिता की मृत्यु के पश्चात हिन्दु उत्तराधिकारिता क्रम मे जो कृषि सम्पति अन्य सह भागीदारो के साथ सहकाश्तकार के रूप में प्राप्त हुयी उसका विवरण वर्तमान राजस्व अभिलेखो के अनुसार इस प्रकार है :– (अ) मोजा सलावटिया प०ह० सलावटिया तहसील बिजोलिया के खाता सख्या 340 पर दर्ज भूमि नाम खातेदार ऐजन पुत्री सेवागर हिस्सा 1/24, काली पुत्री कानगर हिस्सा 1/48, चांदी पत्नि खेमगर हिस्सा 1/12, जेतू पत्नी खेमगर हिस्सा 1/12, प्रभुलाल पुत्र देवा धाकड हिस्सा 1/3, भंवरगर पुत्र सेवागर हिस्सा 1/24, मांगीलाल पुत्र हीरागर हिस्सा 1/12, युवराज पुत्र हीरागर हिस्सा 1/12, रोडी बाई पुत्री बरजी हिस्सा 1/6, शंकरगर पुत्र सेवागर हिस्सा 1/24, शारदा पुत्री कानगर हिस्सा 1/48 खसरा नम्बर 1140/914, 1141/926, 914, 915, 926 रकबा क्रमशः 0.0728, 0.0890, 0.1376, 0.0567, 0.1781 हैक्टेयर कुल किता 5 रकबा 0.5342 हैक्टेयर खातेदारानो में से ऐजन की मृत्यु हो गयी उसकी उत्तराधिकारी नन्दा गीता पिता बालुगर है। वादग्रस्त खाते में भूमि चादी पत्नि खेमगर व जेतू पत्नि खेमगर का नाम दर्ज अभिलेख है। दोनो को खेमगर पुत्र रतनगर की पत्निया होना राजस्व रेकर्ड मे बता खेमगर पुत्र रतनगर गुसाई के हिस्से को दो हिस्सा मे चांदी बाई व जेतु के नाम पर दर्ज कर दिया। चूंकि जेतू खेमगर की विवाहिता पत्नी नहीं है। इसलिए जेतू को खेमगर की पत्नि मान जो उसे खातेदारी दी गयी वह अवैध व मूलतः शून्य है। जेतू की मृत्यु हो चुकी है। जेतू ने खेमगर जी की मृत्यु के पश्चात बालु पुरी जाति गोस्वामी निवासी खाचरोल तहसील माण्डलगढ से अपने वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर लिये ओर उसके साथ रही जिसकी मृत्यु जुलाई 2015 में हो गयी जबकि चांदी बाई अपने विवाहित पति की विधवा बनकर वादी के साथ सलावटिया में रही जिसकी मृत्यु दिनांक 7–5–2021 को हुयी है। वादी ने श्रीमति चांदी बाई की गोद पुत्र के रूप में सेवा की। वादी द्वारा खेमगरजी व चांदी बाई की मृत्यु पश्चातके सारे क्रियाक्रम सम्पन्न किये। (ब) मोजा सलावटिया स्थित कृषि भूमि खाता सख्या 341 अनुसार वादग्रस्त भूमि का विवरण नाम खातेदार ऐजन पुत्री सेवागर हिस्सा 1/48, कैलाशगिरी पुत्र केशरगर हिस्सा 1/48, कैलाशगिरी पुत्र रूपगर हिस्सा 1/4, कालीबाई पुत्री कानगर हिस्सा 1/96, चादीबाई पत्नि खेमगर हिस्सा 1/24, जेतु पत्नि खेमगर हिस्सा 1/24, नाथूगिरी पुत्र केशरगर हिस्सा 1/48, नारायणी पत्नी रूपगर हिस्सा 1/4, बाली पत्नि भंवर गर हिस्सा 1/24, भंवरगर पुत्र सेवागर हिस्सा 1/48, भंवरीबाई पुत्री केशरगर हिस्सा 1/48, भवानीगिरी पुत्र केशरगर हिस्सा 1/24, मांगीलाल पुत्र हीरागर हिस्सा 1/24, युवराज पुत्र हीरागर हिस्सा 1/24, रोडीबाई पुत्री बरजी हिस्सा 1/12, शंकरगिरी पुत्र केशरगर हिस्सा

लगातार पेज संख्या 03 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

1/48, शंकरगिरी पुत्र सेवागर हिस्सा 1/48, शारदा बाई पुत्री कानगर हिस्सा 1/96 खसरा नम्बर 753, 817, 818 रकबा क्रमशः 0.1619, 0.0243, 0.0809 हैक्टेयर भूमि कुल किता 3 रकबा 0.2671 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं। वादपत्र की चरण सख्या 4 की उपचरण अ में जो विवरण खेमगर पुत्र रतनगर गुसाई की जायदाद स्थिती बाबत दिया है वही उपचरण (ब) में वर्णित कृषि भूमि पर लागू हो जेतु वादग्रस्त जायदाद में अवैध खातेदार के रूप में दर्ज है। (स) मोजा सलावटिया के खाता सख्या 338 पर दर्ज भूमि का विवरण इस प्रकार है :- नाम खातेदार ऐजन पुत्री सेवागर हिस्सा 1/48, कैलाशगिरी पुत्र रूपगर हिस्सा 1/4, कालीबाई पुत्री कानगर हिस्सा 1/96, चांदीबाई पत्नि खेमगर हिस्सा 1/24, जेतू पत्नी खेमगर हिस्सा 1/24, नारायणी पत्नि रूपगर हिस्सा 1/4, प्रभुलाल पुत्र देवा धाकड हिस्सा 1/6, भंवरगर पुत्र सेवागर हिस्सा 1/48, मांगीलाल पुत्र हीरागर हिस्सा 1/24, युवराज पुत्र हीरागर हिस्सा 1/24, रोडी बाई पुत्री बरजी हिस्सा 1/12, शंकरगर पुत्र सेवागर हिस्सा 1/48, शारदा पुत्री कानगर हिस्सा 1/96 खसरा नम्बर 1135/913, 1142/913, 1143/913, 1144/913, 1145/913, 1146/913, 913, 928, 931 रकबा क्रमशः 0.0971, 0.0405, 0.0647, 0.0324, 0.0162, 0.0324, 0.0324, 0.0243, 0.1700 कुल किता 9 रकबा 0.5100 हैक्टेयर भूमि हैं। वादपत्र की चरण सख्या 4 के उपचरण अ मे जो खेमगर पुत्र रतनगर की जायदाद बाबत विवरण दिया गया है वही विवरण उक्तउपचरण में वर्णित कृषि भूमि पर लागू होगा। जेतुबाई को प्रदत खातेदारी अवैध एवम विधि विरूद्ध है। (द) मोजा सलावटिया के खाता सख्या 342 पर दर्ज भूमि का विवरण :- नाम खातेदार ऐजन पुत्री सेवागर हिस्सा 1/24, कैलाशगिरी पुत्र रूपगर हिस्सा 1/24, कालीबाई पुत्री कानगर हिस्सा 1/48, चांदीबाई पत्नि खेमगर हिस्सा 1/12, जेतू पत्नी खेमगर हिस्सा 1/12, नाथूगिरी पुत्र केसरगर हिस्सा 1/24, बालीबाई पत्नि भवरगर हिस्सा 1/12, भवरगर पुत्र सेवागर हिस्सा 1/24, भवरीबाई पुत्री केशरगर हिस्सा 1/12, भवानीगिरी पुत्र भवरगर हिस्सा 1/12, मांगीलाल पुत्र हीरागर हिस्सा 1/12, युवराज पुत्र हीरागर हिस्सा 1/12, रोडी बाई पुत्री बरजी हिस्सा 1/6, शंकरगिरी पुत्र केशरगर हिस्सा 1/24, शंकरगर पुत्र सेवागर हिस्सा 1/24, शारदा पुत्री कानगर हिस्सा 1/48 खसरा नम्बर 1133/746 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1134/746 रकबा 0.0567 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1136/752 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1137/752 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1138/804 रकबा 0.1376 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1139/819 रकबा 0.0890 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 746 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 752 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 804 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 819 रकबा 0.1862 हैक्टेयर कुल किता 10 रकबा 0.9063 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं।

वादपत्र की चरण सख्या 4 के उपचरण (अ, ब, स, द) मे दिया गया खेमगर पुत्र रतनगर गुसाई की कृषि भूमि बाबत विवरण उक्त उपचरण की कृषि भूमि पर लागू हो जेतू बाई खातेदार का नाम हटाने योग्य है। वादी को खेमगर पुत्र रतनगर जी एवम चांदीबाई द्वारा सामाजिक रिति रिवाज एवम धार्मिक रूप से गुसाई समाज मे प्रचलित व्यवस्था के अनुसार गोद लिये जाने से वादी ही उनका वैध उत्तराधिकारी है एवम दोनो के द्वारा निर्वसीयत छोडी गयी अपनी सम्पति का वादी वैध खातेदार है वादी ही वादग्रस्त जायदाद में दर्ज हिस्से की सीमा तक अन्य सह खातेदारान के साथ वादग्रस्त जायदाद सयुक्त एवम अविभाजित होने से काश्त कर रहा है। स्व० जेतूबाई जिसे खेमगर की पत्नि होना बता उसका प्रत्येक खाते मे जो हिस्सा दर्ज किया गया है वह अवैध होने से उसका नाम व हिस्सा विलोपित किया जाकर स्व० चादीबाई विवाहिता पत्नि खेमगर की मृत्यु हो जाने से वादी को उन दोनो के हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना विधि सम्मत है इसलिये वादी को उन दोनों हिस्सो का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु वादी घोषणात्मक डिक्री पाने का अधिकारी है। वादी द्वारा तहसीलदार महोदय लेण्ड होल्डर के यहा खेमगर की खाते व हिस्से की भूमि जो उनकी मृत्यु के पश्चात चादी बाई व जेतुबाई के नाम पर की गयी उन हिस्सो की वादी को खातेदारी प्रदान कराते हुये चांदीबाई व जेतू का नाम राजस्व रेकर्ड से विलोपित करने की कहने पर उनके द्वारा वादग्रस्त जायदाद से खेमगर जी के हिस्से मे से आधा हिस्सा जेतुबाई के नाम पर दर्ज हिस्सा विवादित बता वादी को उस दोनों हिस्से की खातेदारी प्रदान करने हेतु नामान्तकरण खोलने से इन्कार कर दिया एवम कानूनी सलाह दी कि वादी सक्षम न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर चांदी बाई व जेतुबाई के हिस्से की खातेदारीप्राप्त कर ले । इसलिए वादी को यह वाद इस न्यायालय मे वाद लाने का वाद कारण उत्पन्न हुआ है। वादी के अतिरिक्त खेमगर जी की हिस्से की जायदाद जो चादीबाई एवम जेतुबाई के नाम पर दो अलग हिस्से अनुसार दर्ज की हुयी है वादी के अतिरिक्त अन्य को खातेदारी लेने का अधिकार नहीं है किन्तु तहसीलदार महोदय लेण्ड होल्डर द्वारा वादी को खातेदारी प्रदान नही कर जेतुबाई के हिस्से को किसी अन्य के नाम पर दर्ज कर देना चाहते है जिसको रोकने के लिए उनके विरूद्ध वादी स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है। लेण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय द्वारा विधि की जानकारी के अभाव मे श्रीमति जेतू बाई के खेमगर की विवाहिता नही होते हुये भी उसे खेमगर की विवाहिता मान उसे खातेदारी प्रदान की गयी जबकि खेमगर जी कि विवाहिता चांदी बाई जीवित थी तो कृषिया भूमि खेमगर जी की मृत्यु के पश्चात

लगातार पेज संख्या 04 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

उसके एवम वादी के गोद पुत्र होने वादी के नाम सयुक्त रूप से दर्ज की जानी चाहिये थी। किन्तु अब वे अवैध तरिके से जेतु बाईको प्रदत खातेदारी समाप्त कर वादी को खातेदारी देने को अनुचित तरिके से टाल रहे हैं।

अतः वादी अनुतोष चाहता है कि मोजा ग्राम सलावटिया में स्थित कृषि खातेदारी भूमि जिसका विवरण वादपत्र की चरण सख्या 4 के उपचरण अ ब स द में खाता संख्या 342, 338, 341, 340, मे दर्ज आराजीयात है उन खातो से स्वर्गीय खातेदार चांदी पत्नि खेमगर व जेतू पत्नि खेमगर गुसाई के नाम हटाया जाकर उनकी खातेदारी समाप्त करते हुये वादी को उक्त दोनो के हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जावे। प्रतिवादी कमाक 19 लेण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी को खातेदारी प्रदान करने के अतिरिक्त अन्य को खातेदारी प्रदान करने वाला कोई पृष्ठाकन उपरोक्त खातो के राजस्व अभिलेखो में नहीं करें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवायी गयी। प्रतिवादीगण की बाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण वावजूद इतिल्ला गैर हाजिर रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

उक्त प्रकरण में वादी ने अपने सशपथ बयानों में वादपत्र के समर्थन में प्रदर्श–1 आबादी भूमि का विक्रय विलेख पट्टा ग्राम पंचायत सलावटियां जिसमें वादी के पिता का नाम खेमगर अंकित हैं। इसी प्रकार प्रदर्श–2 फोटोप्रति आधार कार्ड में वादी के पिता का नाम खेमगर अंकित हैं, प्रदर्श–4 में वाहन की पंजीकृत रजिस्ट्रेशन की प्रति हैं जिसमें वादी के पिता का नाम खेमगर अंकित हैं, प्रदर्श–5 राशनकार्ड में वादी के पिता का नाम खेमगर, प्रदर्श–6 फोटो प्रति बिजली का बिल जिसमें वादी के पिता का नाम खेमगर अंकित हैं, प्रदर्श–7 पहचान पत्र हैं जिसमें वादी के पिता का नाम खेमगर अंकित हैं, प्रदर्श–8 ग्राम सलावटियां की खाता सं. 340 की जमाबन्दी नकल संवत 2075–2078 की प्रति, प्रदर्श–9 ग्राम सलावटियां की खाता सं. 341 की जमाबन्दी नकल संवत 2075–2078 की प्रति, प्रदर्श–10 ग्राम सलावटियां की खाता सं. 338 की जमाबन्दी नकल संवत 2075–2078 की प्रति, प्रदर्श–11 ग्राम सलावटियां की खाता सं. 342 की जमाबन्दी नकल संवत 2075–2078 की प्रति प्रस्तुत की हैं। एवं फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण जेतु पुरी, मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति चांदी बाई की प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली हैं।

पत्रावली को साक्ष्यवादी के स्तर पर रखा गया। साक्ष्य वादी में PW-1 नाथुगिरी पिता खेमगिरी जाति गुसाई उम्र 58 वर्ष पेशा कृषि निवासी सलावटियां, PW-2 कैलाशगिरी पुत्र रूपगिरी जाति गुसाई उम्र 60 वर्ष पेशा कृषि निवासी सलावटियां के बयान लिये गये जो शामिल पत्रावली हैं।

PW-1 नाथुगिरी पिता खेमगिरी गुसाई निवासी सलावटियां ने बयान में लिखाया कि मैं स्व. खेमगर पुत्र रतनगर जाति गुसाई एवं श्रीमती चांदी बाई पत्नी खेमगर गुसाई निवासी सलावटीया का गोद पुत्र है मुझे समाज व परिवार में स्व. खेमगर व चान्दीबाई का पुत्र के रूप में जानते हैं। और में इसी प्रकार इनके गोद पुत्र की पहचान रकता है मेरे सभी सरकारी दस्तावेजों में पिता का का नाम स्वं खेमगर दर्ज हैं। जिससे मेरे मकान का पट्टा ग्राम सलावटीया में है जिनकी फोटो प्रति पेश है उपरोक्तानुसार दस्तावेज संलग्न किये हैं। स्व. खेमगर गुसाई की चल अचल सम्पति के बाबत विधि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत वादी हिन्दु होने से उसके गोदी माता पिता द्वारा अपने पीछे निरवसीयत छोडी गयी सम्पति पुत्र की हैसियत से वादी को कानूनन प्राप्त होने की व्यवस्था हैं। स्व. खेमगर पुत्र रतनगर गुसाई हिन्दु होने से हिन्दु रीति रिवाज एवं गुसाई समाज की प्रचलित विवाह विधि अनुसार उनका विवाह केवल चादी बाई से हुआ था। चादी बाई ही स्व. खेमगर की विवाहिता पत्नी के रूप में अपनी पहचान रखती थी। किसी भी हिन्दु पुरूष को हिन्दु विवाह अधिनियम के तहत अपनी विवाहिता पत्नी के जीवित रहते बिना विधि पुरवक विवाह विच्छेद कराये अन्य किसी स्त्री को दुसरी पत्नी बनाकर रखने का अधिकार नही हैं। हिन्दु विधि में दो पत्नी रखना वर्जित हैं। जेतु खेमगर की विवाहिता पत्नी नही हैं। इसलिए जेतु को खेमगर की पत्नि मान कर उसे खातेदारी दी गयी है वह अवैध व मूलतः शून्य हैं। वादपत्र की चरण संख्या 4 के उपचरण अ ब स द में खाता संख्या 342, 338, 341, 340 में दर्ज आराजीयात उन खातो से खातेदार चादी पत्नि खेमगर व जेतु पत्नि खेमगर गोसाई का नाम राजस्व रेकॉर्ड से हटाया जाकर उनकी खातेदारी समाप्त करते हुए वादी को उक्त दोनो के हिस्से की मौजा ग्राम सलावटिया की उपरोक्त खातो की भूमि का हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

लगातार पेज संख्या 05 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

PW-2 कैलाशगिरी पुत्र रूपगिरी गुसाई निवासी सलावटियां ने भी अपने बयान में नाथुगिरी पिता खेमगिरी गुसाई के कथनो का दोहराया एवं वादी को खेमगर एवं चांदीबाई का गोद पुत्र होने के बयान दर्ज कराये हैं।

अधिवक्ता वादी द्वारा साक्ष्यवादी में ओर किसी गवाह के बयान नहीं कराये जाने पत्रावली को साक्ष्य प्रतिवादीगण में रखा गया।

वादपत्र एकपक्षीय होने से कोई गवाह उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रकरण को बहस में रखा गया।

हमने पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया, अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी व बहस पर मनन किया। साथ में पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया। वादी वादपत्र में चाहा गया अनुतोष प्राप्त करना चाहता हैं। वादपत्र में प्रस्तुत दस्तावेजों से ये भली भाति प्रतीत होता हैं कि वादी खेमगर का दत्तक पुत्र सिद्ध होने प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं। अतः पत्रावली में सभी तथ्यों को ध्यानमें रखते हुए वादपत्र में आदेश दिए जाते हैं कि :–

–:: आदेश ::–

वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि मौजा ग्राम सलावटिया में स्थित कृषि खातेदारी भूमि जिसका विवरण वादपत्र की चरण सख्या 4 के उपचरण अ ब स द में खाता संख्या 342, 338, 341, 340 में दर्ज आराजीयात है उन खातो से स्वर्गीय खातेदार चांदी पत्नि खेमगर व जेतू पत्नि खेमगर गुसाई उक्त दोनों के नाम हटाया जाकर उनकी खातेदारी समाप्त करते हुये इनके स्थान पर वादी नाथुगिरि पिता खेमगर जाति गुसाई को मौजा ग्राम सलावटिया में स्थित कृषि खातेदारी भूमि के खाता संख्या 340 में इन दोनों के 1/12, 1/12 हिस्से का, खाता संख्या 341 में इन दोनों के 1/24, 1/24 हिस्से का, खाता संख्या 338 में इन दोनों के 1/24, 1/24 हिस्से का, खाता संख्या 342 में इन दोनों के 1/12, 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना वहन करे। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब की जावें।

आदेश आज दिनांक 08/01/2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय मोहर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड़ अधिकारी
बिजौलियाँ

राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 10/2022

दायर तारीख 19.01.2022

अनवान्

1. नाथूगिरि पुत्र खेमगर जाति गुसाई उम्र बालिग व्यवसाय कृषि निवासी सलावटिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा (राज0)

.....डिक्रीदार

बनाम

1. नन्दा पुत्र बालूपुरी जाति गुसाई उम्र बालिग निवासी गरड़दा तहसील बून्दी जिला बून्दी
2. गीता पुत्री बालूपुरी (पत्नी प्रकाश गिरि) जाति गुसाई जाति गोस्वामी निवासी गोपालपुरा तहसील बेगू जिला चित्तोडगढ
3. कैलाशगिरी पुत्र केशरगर जाति गुसाई उम्र बालिग निवासी सलावटिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा
4. कैलाशगिरी पुत्र रूपगर जाति गुसाई उम्र बालिग निवासी सलावटिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा
5. कालीबाई पुत्री कानगर जाति गुसाई पत्नि सोहनगिरी उम्र बालिग निवासी सलावटिया हाल निवासी भूति तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा
6. नारायणी विधवा रूपगर जाति गुसाई उम्र बालिग निवासी सलावटिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा
7. प्रभुलाल पुत्र देवा जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी सलावटिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा
8. भंवरगर पुत्र सेवागर जाति गुसाई उम्र बालिग निवासी सलावटिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा
9. मांगीलाल पुत्र हीरागर जाति गुसाई उम्र बालिग निवासी सलावटिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा
10. युवराज पुत्र हीरागर जाति गुसाई उम्र बालिग निवासी सलावटिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा
11. रोडीबाई पुत्री बरजी जाति गुसाई उम्र बालिग निवासी सलावटिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा
12. शंकरगर पुत्र सेवागर जाति गुसाई उम्र बालिग निवासी सलावटिया गुसाई तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा
13. शारदा पुत्री कानगर जाति गुसाई उम्र बालिग निवासी सलावटिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा
14. भंवरी बाई पुत्री केशरगर जाति गुसाई उम्र बालिग निवासी सलावटिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा
15. शंकरगिरि पुत्र केसरगर जाति गुसाई उम्र बालिग निवासी सलावटिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा
16. बालीबाई पत्नि भंवरगर जाति गुसाई उम्र बालिग निवासी सलावटिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा
17. भवानीगिरी पुत्र भंवरगर जाति गुसाई उम्र बालिग निवासी सलावटिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा
18. शंकरगिरी पुत्र सेवागर जाति गुसाई उम्र बालिग निवासी सलावटिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा
19. राजस्थान सरकार मार्फत तहसीलदार तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा राजस्थान

.....मदयूनान

लगातार पेज संख्या 02 पर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक : 08/01/2026

डिक्री दिनांक : 08/01/2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियाँ बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादीगण श्री हर्षवर्धन शर्मा व एकपक्षीय प्रतिवादीगण को हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि मौजा ग्राम सलावटिया में स्थित कृषि खातेदारी भूमि जिसका विवरण वादपत्र की चरण सख्या 4 के उपचरण अ ब स द में खाता संख्या 342, 338, 341, 340 में दर्ज आराजीयात है उन खातो से स्वर्गीय खातेदार चांदी पत्नि खेमगर व जेतू पत्नि खेमगर गुसाई उक्त दोनों के नाम हटाया जाकर उनकी खातेदारी समाप्त करते हुये इनके स्थान पर वादी नाथुगिरि पिता खेमगर जाति गुसाई को मौजा ग्राम सलावटिया में स्थित कृषि खातेदारी भूमि के खाता संख्या 340 में इन दोनों के 1/12, 1/12 हिस्से का, खाता संख्या 341 में इन दोनों के 1/24, 1/24 हिस्से का, खाता संख्या 338 में इन दोनों के 1/24, 1/24 हिस्से का, खाता संख्या 342 में इन दोनों के 1/12, 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना वहन करे। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब हो।

नीज .....Nil.....मुबलिग ..... Nil .....बाबत् ..... Nil .....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर ..... Nil .....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... Nil .....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08 माह 01 वर्ष 2026 को जारी किया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	—		स्टाम्प अरजीदया	—	
स्टाम्प वकीलात नामा	—		स्टाम्प वकीलात नामा	—	
स्टाम्प वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
महनताना वकील ( )	—		महनताना वकील ( )	—	
खर्चा गवाह	—		खर्चा गवाह	—	
फीस कमीश्नर	—		फीस कमीश्नर	—	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	—		बाबत् इजराय हुक्मनामा	—	
मुनफरिक	—		मुनफरिक	—	
मीजान			मीजान		

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ